न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीगण	ब नाम	अप्रार्थी
लादीदेवी पत्नी जीवणराम जाट जसवंतपुरा पेमाराम नारायण पि. रामूराम जाट धन्नीदेवी पत्नी चूनाराम जाट अर्जुनराम प्रभुराम बजरंगलाल हरदेवाराम पिता चूनाराम जाट जसवंतपुरा	ब नाम	राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी भूमिधारी

राजस्व प्रार्थना पत्र = प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 132 (2) R.L.R. Act 1956

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर 201 /2022 GCMS No.2022/ 4116

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.12.2022	प्रार्थी ~~वकील~~ पेमाराम पुत्र रामूराम जाट जसवंपुरा द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 132 (2) R.L.R. Act 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 27.12.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
27.12.2022	प्रार्थी उप.। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी ने पत्रांक/भू.अ./2022/2097 दिनॉक 26.12.2022 के द्वारा कथन किया है कि ग्राम जसवंतपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा के खसरा नम्बर 29, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 28, 32, 43, 44, 46, 47 से संबंधित पंजिबद्व दस्तावेज संख्या 202203471109284 दिनॉक 03.11.2022 विनिमय पत्र की प्रति प्रस्तुत की। उपरोक्त विनिमय पत्र अनुसार प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य सहमति से भूमि का विनिमय पत्र पंजिबद्व हुआ है जिसका नामान्तरकरण तकनीकि कारणो से नही हो पा रहा है, चूँकि खसरा नम्बर 28, 29, 46, 47 का आंशिक रकबा विनियम हुआ है व खसरा नम्बर 32 का पूर्ण रकबा विनिमय किया गया है जो ई–धरती के सॉफ्टवेयर में विनिमय के नामान्तरकरण के प्रकार में दर्ज करते समय आंशिक रकबा वाला नामान्तरकरण दर्ज नही हो पा रहा है, जिसके लिए मार्गदर्शन चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम पक्ष लादी देवी ने खसरा नम्बर 29 रकबा 4.67 हैक्टर में से उत्तरी तरफ की 3.68 हैक्टर द्वितीय पक्षकार के पक्ष में तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा खसरा नम्बर 28 रकबा 5.66 हैक्टर में से दक्षिणी तरफ की 2.09 हैक्टर खसरा नम्बर 32 रकबा 0.12 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.23 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ से रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 7.08 हैक्टर में से उत्तरी पश्चिमी तरफ 0.16 हैक्टर भूमि प्रथम पक्षकार के पक्ष में विनिमय की है। जिसका नामान्तरकरण तकनीकि कारणो से नही हो पा रहा है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पारिवारिक सदस्यो में विनिमय पंजिबद्व हुआ है जिसका न्यायिक दृष्टिकोण से राजस्व रेकार्ड में अंकन होना आवश्यक है। अतः तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि पंजिबद्व दस्तावेज अनुसार [illegible] अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे। आदेश आज दिनॉक 27.12.2022 को [illegible] सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:37:46 IST
Reason: SelfAttested